

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

ध्वज नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग
सेक्टर 31 ए
दिनांक 08.06.2007

फाईल नम्बर:-9-PBC058/2007-CHA/5479-83

सेवा मे,

वित्तायुक्त एवं सचिव (वन),
पंजाब सरकार, वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग,
लघु सचिवालय, सेक्टर- 9
चण्डीगढ़ ।

विषय:-

Diversion of 5.20 hec. of forest land for rehabilitation of Dharamkot to Zira road RD 0 to 15 B/S Forest Division & Distt. Faridkot, Punjab.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में सम्बन्धित नोडल आफिसर पंजाब सरकार के पत्र संख्या FCA-1980/3345/34157 दिनांक 30.01.2007 एवं दिनांक 25.05.2007 का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 5.20 hec. वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. कम से कम वृक्ष/पौधे कटवाये जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 686 वृक्ष 90 पोल और 6301 पौधों से अधिक नहीं होगी।
3. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **Alaiwah Disty on 10.40 hec.** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रू 47,84,000/- (रू सैंतालिस लाख चौरासी हजार मात्र) की राशि से 10400 पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
4. प्रयोक्ता एजेंसी से यह अंडरटेकिंग भी ली जाए कि अगर NPV की दरों में बढ़ोतरी होती है तो अतिरिक्त/ अन्तरीय राशि अदा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
5. राज्य सरकार पत्र संख्या 5-2/2006-FC दिनांक 20.05.2006 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार NPV तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या CA 1589, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक -11 भूतल सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 में जमा करायेगी।
6. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

Contd..2.

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

ध्वज नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग
सेक्टर 31 ए
दिनांक 04.06.2007

फाईल नम्बर:-9-PBC059/2007-CHA/5349-53.

सेवा मे,

वित्तायुक्त एवं सचिव (वन),
पंजाब सरकार, वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग,
लघु सचिवालय, सेक्टर- 9
चण्डीगढ ।

विषय:-

Diversion of 5.72 hec. of forest land for rehabilitation of Dharamkot to Zira Ferozepur road RD 15 to 59.16 B/s in Forest Division & Distt. Ferozepur, Punjab.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में संबंधित नोडल आफिसर पंजाब सरकार के पत्र संख्या FCA-1980/3346/9663 दिनांक 30.01.2007 एवं दिनांक 03.05.2007 का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 5.72 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. कम से कम वृक्ष/पौधों कटवाये जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 951 वृक्ष 66 पोल और 8310 पौधों से अधिक नहीं होगी।
3. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **imamdot Extention 100-132 & 132-164 B/s** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रू 12,58,400/- (रू बारह लाख अठावन हजार चार सौ मात्र) की राशि से 11.44 hec में पौधे लगाकर किया जायेगा।
प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
4. प्रयोक्ता एजेंसी से यह अंडरटेकिंग भी ली जाए कि अगर NPV की दरों में बढोतरी होती है तो अतिरिक्त/ अन्तरीय राशि अदा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
5. राज्य सरकार पत्र संख्या 5-2/2006-FC दिनांक 20.05.2006 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार NPV तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या CA'1589, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक -11 भूतल सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 में जमा करायेगी।
6. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

7. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्ध कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

भवदीय



(श्री कृष्ण सहरावत)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब सरकार, 17, बेज बिल्डिंग, सैक्टर 17, चण्डीगढ़।
2. निदेशक (FC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली।
3. Divisional Forest Officer Ferozepur, Punjab.
4. The Executive Engineer, Const. Division No.3, PWD B&R Branch, Ferozepur, Punjab.
5. गार्ड फाईल।

Government of India
Ministry of Environment & Forests
Northern Regional Office

Bays No.24-25,
Dakshin Marg, Sector-31A
Chandigarh-160030
Dated: Tuesday, June 10, 2008

F.No.: 9-PBB287/2008-CHA/15042-46
To

The Financial Commissioner & Secretary,
Government of Punjab,
Department of Forests & Wildlife Preservation,
Mini Secretariat, Sector-9,
Chandigarh.

Sub. Diversion of 1.230 hectare of forest land in favour of PWD for **rehabilitation of Dharmakot-Jira-Ferozepur road**, RD 24.70 to 59.16 under Forest Division & District Ferozepur, Punjab State.

Sir,

Please refer to Government of Punjab letter No. FCA/1980/3852/857 dated 14th May 2008 on the above mentioned subject seeking prior approval of the Government of India for diversion of forest land for non-forestry purpose in accordance with section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980.

After careful consideration of the proposal, the competent authority has decided to accord in **principle** approval to the above mentioned proposal subject to compliance as under: -

1. Cost of compensatory afforestation as per proposed scheme may be realized from the user agency.
2. Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted for non forestry purpose may be realized from the user agency, as per Hon'ble Supreme Court of India's Order dated 30/10/2002 and Ministry's directions issued vide letters No. 5-1/98-FC (Part-II) dated 11/8/2003.
3. Part-IV and V of the main application form duly signed by the concerned competent authorities be submitted

The compliance on the above may be submitted at the earliest. **The use of forest land will not be allowed till final approval is accorded.**

Yours faithfully,



(SK Sehwat)

Conservator of Forests (Central)

Copy to:-

1. PCCF, Govt. of Punjab, Forest Department, 17 Bays Building, Sector-17, Chandigarh.
2. The Additional Director General of Forests (FC), Ministry of Environment & Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi.
3. DFO, Forest Division and District Ferozepur, Punjab.
4. Executive Engineer, Construction Division No.3, PWD B&R Branch, Ferozepur.
5. Guard file.